अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

चानणराम बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रकरण सं0 05/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
15.03.18	प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों निकाराम, काकूराम के नाम से चक 53 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 06 के 24.10 बीघा बारानी कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैंयनामा खरीद की हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी से उक्त वर्णित कृषि भूमि की नियमन फीस जमा करवाई जाकर दिनांक 17.12.1988 को नियमन आदेश पारित किया गया था। प्रार्थी की जाति भाट है, बैयनामा में भी भाट दर्ज और न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे गये थे उसमें भी प्रार्थी की जाति भाट दर्ज की गई, लेकिन माननीय न्यायालय के नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 में प्रार्थी की जाति सहवन से भाट के स्थान पर जाट दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी नियमन आदेश में अपनी जाति का शुद्विकरण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल पत्रावली को तलब किया जाकर नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 में प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर भाट कर शुद्विकरण आदेश प्रदान किया जावें। प्रार्थना पत्र से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया एवं तहसीलदार से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। इस न्यायालय के नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय का नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 जारी करते वक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपनी जाति जाट होना अंकित किया है, **"जबकि तहसीलदार पदमपुर से उनके पत्रांक :–भू0अ0/18/765 दिनांक 14.03.2018 में अंकित किया है कि प्रार्थी चानण राम व इनके भाई निका राम –काकूराम पि0 बख्सीराम जाति भाट निवासी 55 एलएनपी के द्वारा चक 53 एलएनपी में रूपराम पुत्र बस्तीराम जाति कुम्हार से मु0न0 6 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की जिसमें खरीददार की जाति भाट दर्ज है, जबकि श्रीमान अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) महोदय श्रीगंगानगर से प्रार्थीगणो की जाति जाट दर्ज की गई है, जबकि प्रार्थीगणो की वास्तविक जाति भाट है व अन्य समस्त दस्तावेजो में भी जाति भाट ही दर्ज है। अतः आदेश की दुरूस्ती की जानी उचित है।"** पत्रावली का अवलोकन किया। जिस बेचान को नियमित किया गया है उस बेचान विलेख में प्रार्थीगण की जाति भाट दर्ज है। नकल आदेश दिनांक 13.03.1987 ब अदालत एडीएम(ए) श्रीगंगानगर मि0न0 424/84 अनवान सरकार बनाम चाननराम आदि में भी जाति भाट अंकित है। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवेदन दिनांक 18.01.1984 में भी जाति भाट स्पष्ट अंकित है। उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट अनुसार नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 में प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर भाट किया जाना न्यायोचित है। अतः इस न्यायालय के नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 में प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर भाट किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को राजस्व अभिलेख में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु पालनार्थ भिजवाई जावें एवं सम्बन्धित रिकार्ड लौटाया जावें। **आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।** 15/3/18 (नखतदान बारहठ) अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official